आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

01/10/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-555/2013-2014

मनु हेमरोम ..... आवेदक

बनाम्

(1) उदय कुमार,
(2) विमला देवी
(3) अनिता देवी..... विपक्षी

आदेश

आवेदक मनु हेमरोम, पिता–स्व० पुरन मुण्डा जाति–मुण्डा, निवासी ग्राम–करमटोली, थाना–लालपुर जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षी (1) उदय कुमार, पिता–कामेश्वर प्रसाद, (2) विमला देवी, पति–स्व० विनोद लाल दास, (3) अनिता देवी, पति–विजय कुमार सिन्हा, सभी निवासी पता–न्यु नगर टोली, थाना–लालपुर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच कर जमीन हड़प लिए हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
हातमा	200	150 161	1239 1236	01+01+01 =03कट्ठा

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में चामु मुण्डा के नाम से वकास्त भुईंहरी है लगान पानेवाले का नाम शोमा मुण्डा उर्फ लोहरा मुण्डा दर्ज है।

आवेदक 'अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है।

आवेदक ने अपने आवेदन, शपथ पत्र एवं वंशावली में दर्शायें हैं कि चामु मुण्डा अपने पीछे शोमा मुण्डा उर्फ लोहरा मुण्डा को छोड़ गये। शोमा मुण्डा अपने

कृ०पृ०उल्टे

01/10/24

एक मात्र पुत्र पुरण मुण्डा को छोड़ गये। पुरण मुण्डा अपने पीछे शकलु मुण्डा, मनु हेमरोम (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं। आवेदक का कहना है कि वर्णित भूमि वकास्त भुईंहरी है, जिस पर विधान कुमार सिन्हा, जवाहर लाल गुप्ता एवं नितु देवी गैरकानूनी तरीके से दखल कब्जा कर लिए हैं, अतः यह वाद भू–वापसी हेतु लाया गया है।

विपक्षीगण की ओर से कारणपृच्छा दाखिल की गयी है, तथा कहते हैं कि खाता–150, 161 क्रमशः प्लॉट–1239, 1236 कुल रकबा –03 कट्ठा जमीन पर लाया गया वाद कालबाधित है। आवेदक वर्णित भूमि पर जो अपना दावा करते हैं, वह भुईंहरी खेवट नं०–8/1 और 8/4 खाता नं०–150 और 161, मौजा–हातमा है। खतियान में भुईंहरी वकास्त मालिक नाम दर्ज है तथा लगान पाने वाला जमीनदार का नाम सोमा मुण्डा उर्फ लोहरा मुण्डा है। पुरण मुण्डा ने कामेश्वर प्रसाद को 1946 में सादा हुकुमनामा के द्वारा बन्दोबस्त किये। यह जमीन छप्परबंदी है, न कि खेती योग्य है। इसपर कामेश्वर प्रसाद घर बनाकर रह रहे हैं। विपक्षी का कहना है कि खेवट नं०–8/1 और 8/4 आपसी बँटवारा से प्लॉट नं०–1239, 1236 भुईंहरदार पुरण मुण्डा को मिला और पुरण मुण्डा ने सादा हुकुमनामा से कामेश्वर प्रसाद को सलामी देकर बन्दोबस्त कर दिया, जो विपक्षी के पिता हैं तथा मनु हेमरोम को मालगुजारी दे रहे है।

कामेश्वर प्रसाद ने वर्णित 03 कट्ठा भूमि अपने एक बेटे विपक्षी सं०–01 तथा दो बेटियाँ विपक्षी सं०–02 और 03 को एक–एक कट्ठा बाँट दिये। तत्पश्चात् घर मकान बनाकर विपक्षीगण दखल–कब्जा के साथ रह रहे हैं। इसपर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" लागू नहीं होता है, तथा यह वाद पोषनीय नहीं है, क्योंकि भुईंहरदार विपक्षी के पिता को बन्दोबस्त सादा हुकुमनामा से कर चुके हैं जो कि लगभग 67 वर्ष हो गया है तथा जो कालबाधित है अतः यह वाद चलने योग्य नहीं है।

आवेदक अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि वर्णित भूमि वकास्त भुईंहरी है। वकास्त भुईंहरी में लगान पाने वाले का नाम शोमा मुण्डा उर्फ लोहरा मुण्डा दर्ज है। शोमा मुण्डा अपने पीछे पुरण मुण्डा को छोड़ गये। पुरण मुण्डा ने अपने पीछे शकलु मुण्डा, मनु हेमरोम को छोड़ गये, तथा आपसी बंटवारा के बाद आधा हिस्सा आवेदक मनु हेमरोम को मिला है। आवेदक की ओर से दो गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह मनु हेमरोम पिता–स्व० पुरण मुण्डा ने कहा है कि विपक्षी संख्या–01, 02 एवं 03 पर भू–वापसी का केस किये हैं। भुईंहरी खेवट नं०–8/1 और 8/4 खाता नं०–150 और 161, प्लॉट–1239, 1236, मौजा–हातमा, थाना नं०–200, कुल रकबा–03 कट्ठा आर०एस० खेवट एवं खतियान में वकास्त भुईंहरी जमीन दर्ज है। लगान पाने वाले का नाम शोमा मुण्डा उर्फ लोहरा मुण्डा नाम दर्ज है। दोनों भाइयों के बीच 1944 में बँटवारा हो गया, जिसमें आधा हिस्सा मनु हेमरोम

J1/10/24

कृ०पृ०उल्टे

को मिला जो भुईंहरदार के वंशज है। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि मैं भुईंहरदार का वारिस हूँ। आवेदक की ओर से दूसरा गवाह तुलसी उराँव कहते हैं कि वर्णित भूमि वकास्त भुईंहरी मालिक आदिवासी खाते की जमीन है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि यह जमीन भुईंहरी है। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षीगण सं०–01, 02 एवं 03 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया, तथा साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया, जिसमें कहते हैं कि आवेदक के वंशज 50 वर्ष पहले ही भूमि को विपक्षीगण के पिता कामेश्वर प्रसाद को बेच दिए, जिसपर वे घर–मकान बनाकर रह रहे हैं। आगे कहते हैं कि शोमा मुण्डा के पुत्र पुरण मुण्डा ने 05.01.1946 को सादा हुकुमनामा द्वारा छप्परबंदी बंदोबस्त करके विपक्षी के पिता कामेश्वर प्रसाद को भूमि बेच दिए। आगे कहते हैं कि विपक्षी के सभी परिवार का पढ़ाई–लिखाई इसी मकान पर हुआ। विपक्षीगण नगर–निगम में होल्डींग टैक्स, बिजली एवं पानी का कनेक्शन लेकर शुल्क अदा कर रहे हैं तथा यह जमीन छप्परबंदी प्रकृति की है, जिसपर जमीन भू–वापसी का वाद नहीं बनता हैं। आगे कहते है कि एस०ए०आर० वाद सं०–527/06–07 मनु हेमरोम बनाम् उज्जवल कुण्डू वो शोपना कुण्डू के नाम पर वाद लाया गया, जिसमें क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित हुआ था। यह कि प्रश्नगत् भूमि छप्परबंदी स्वरूप का है इसलिए इसपर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" लागू नहीं होता है। विपक्षीगण 1969 से घर–मकान बनाकर रह रहे हैं, जो लगभग 55 साल हो गया है जो कालबाधित है एवं पोषनीय नहीं है तथा विपक्षीगण आवेदक को क्षतिपूर्ती राशि देने के लिए तैयार है, विपक्षीगण की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें पहला गवाह कामेश्वर प्रसाद कहते हैं कि एक कट्ठा जमीन पर घर–मकान बनाये हैं, तथा जिससे मैंने सादा हुकुमनामा से खरीदी है। अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि यह भुईंहरी किस्म की जमीन है, जिसपर 1965 से मकान बनाकर रह रहे हैं। विपक्षी का गवाह सं०–02 उदय कुमार कहते हैं कि कामेश्वर प्रसाद ने उक्त जमीन को सादा हुकुमनामा से लिया है 1969 से घर–मकान बनाकर रह रहे हैं ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि यह जमीन भुईंहरी है। विपक्षी के गवाह सं०–03 प्रमोद कुमार कहते हैं कि 67 वर्ष पूर्व कामेश्वर प्रसाद ने पुरण मुण्डा से जमीन खरीदा था ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि तीस–चालीस वर्षों से मकान देख रहा हूँ। विपक्षीगण की ओर से निम्नलिखित कागजात दाखिल किए गए हैं:–सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, होल्डींग टैक्स की रसीद, बिजली बिल की छायाप्रति और एस०ए०आर० वाद सं०–45/02–03 टी०आर0 सं०–449 की छायाप्रति जो सुधु उरांव बनाम् ज्योत्सना पाण्डेय हैं जिसमें खाता सं०–470 है जिसका इस वाद से कोई संबंध नहीं है।

उभय पक्ष के गवाहों, कागजातों तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं लिखित बहस के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णित

कृ०पृ०उल्टे

भूमि वकास्त भुईंहरी है तथा विपक्षीगण के द्वारा सादा हुकुमनामा दाखिल किया गया है। एस०ए०आर० वाद सं०–527/2006–07 तथा एस०ए०आर० वाद सं०–344/2008–09 को आधार बनाते हुए वर्तमान वाद सं०–555/2013–14 में क्षतिपूर्ति राशि का आदेश करना उचित नहीं है। अतः विपक्षीगण को वर्णित भूमि से बेदखल करते हुए आवेदक को जमीन वापस किया जाता है। विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, शहर राँची को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें। यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए खतियानी रैयत के वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः–253 (ii) दिनांकः–01/10/24

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, शहर राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.01.04 16:13:11 +05:30
Location: 192.168.109.39